

मु.न. 138/24 दीपक राज्य सर.

KAMS

4-2-26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....11-2-26..... को पेश हो।

11-2-26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधी उपास्थित। व
प्राधी ने साह्यस्वदप ग्राम पंचायत, सुरसु
द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दिनांक 3-1-25 पे
किया। प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली
वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18-2-26 को पेश
हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

18-2-26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधी उपास्थित।
प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। निर्णय
अलग से लिखवाया जाकर शामिल प्रमाण
किया गया।

पत्रावली फैंसल कुमार होकर नम
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)